रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220799 CG-DL-E-31072020-220799

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] No. 379] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31जुलाई, 2020

सं. 64 /2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 484 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उप- धारा (1) और धारा 143 क क के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. यथा:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. (1) इन विनियमों को ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (अमेंडमेंट) रेग्युलेशनस, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. ट्रांशिपमेंट ऑफ कार्गो टू नेपाल अंडर एलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम रेग्युलेशनस, 2019 में, -

3459 GI/2020 (1)

- (i) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, उपवाक्य (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
 - "(ख) "प्राधिकृत वाहक" से अभिप्राय किसी ऐसे समुद्री वाहक, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर या संरक्षक से है जो विनियम 3क के अंतर्गत पंजीकृत हो;
 - (ख क) "प्राधिकृत समुद्री वाहक" से अभिप्राय उस जलयान के मालिक से है जिससे आयातित माल या निर्यात माल या तटीय माल की ढुलाई हो रही हो या उसके किसी एजेंट/या अन्य व्यक्ति से हैं जिसे केन्द्रीय सरकार ने ऐसे जलयान के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किया हो;
 - (ख ख) "प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर" से अभिप्राय ऐसे ट्रेन ऑपरेटर से है जो की आयातित माल या निर्यात माल का वाहन कर रहा हो;
 - (ख ग) "संरक्षक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 के उद्येश्य से अनुमोनित किया गया हो;";
- (ii) विनियम 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:
 - "3क. पंजीकरण. (1) प्राधिकृत वाहक को इन विनियमों के परिशिष्ट के रूप में दिये गये फॉर्म-II में पंजीकरण के लिए अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क के यहाँ आवेदन करना होगा।
 - (2) जहां अधिकार क्षेत्र वाला प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, फॉर्म-II में भरे गए आवेदन में दी गयी सूचना से संतुष्ट है तो वहां वह ऐसे आवेदक के पंजीकरण को, ऐसे पंजीकरण को जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अविध तक के लिए इन विनियमों के अंतर्गत अपना कारोबार करने के लिए, अनुमोदित करेंगे।
 - (3) अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, ऐसी प्रारम्भिक तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पहले ऐसे पंजीकरण की समीक्षा करेगा और वह ऐसे पंजीकरण को एक बार में पाँच वर्ष की और अवधि के लिए और किसी प्राधिकृत इकनॉमिक ऑपरेटर के मामले में दस वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।
 - (4) सी कार्गो मेंनिफेस्ट और ट्रांशिपमेंट रेग्युलेशनस, 2018, के विनियम 3 के अंतर्गत प्राधिकृत वाहक के लिए यह माना जाएगा कि वह इन विनियमों के अंतर्गत भी पंजीकृत है।"
- (iii) विनियम 4 में, उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:
 - "(क) नेपाल को भेजे जाने वाले कार्गो और नेपाल में अंतिम गंतव्य पत्तन की घोषणा अराइवल मेंनिफेस्ट में करेगा, यदि उसे सी कार्गो मेंनिफेस्ट और ट्रांशिपमेंट रेग्युलेशनस, 2018 में ऐसा करना जरूरी हो तो;"
- (iv) "फॉर्म", को अब "फॉर्म-I" कहा जाएगा और इस "फॉर्म-I" के बाद निम्नलिखित "फॉर्म-II" को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फॉर्म-II

(देखे विनियम 3 क)

पंजीकरण के लिए आवेदन

- 1. आवेदक का नाम पेरमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) का ब्योरा सहित: -
- (यदि आवेदक कोई फ़र्म या कंपनी है तो फ़र्म के प्रत्येक साझीदार या कंपनी के प्रत्येक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का नाम)
- 2. आवेदक की श्रेणी (समुद्री वाहक, प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर, शिपिंग लाइन या संरक्षक):-

3. संपर्क का ब्योरा:-

फोन नंबर:-

ईमेंल पता: -

4. आवेदक का पूरा पता: -

(यदि आवेदक कोई फ़र्म या कंपनी है तो फ़र्म के प्रत्येक साझीदार या कंपनी के प्रत्येक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का पूरा पता)

- 5. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता: -
 - (यदि आवेदक कोई फ़र्म या कंपनी है तो, इसके साझीदार या साझीदारों निदेशक या निदेशकों या उन विधिवत प्राधिकृत कर्मचारियों का नाम जो ट्रांशिपमेंट की घोषणा को भरने में वास्तविक रूप से संलगन हो)।
- 6. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जो ट्रांशिपमेंट की घोषणा को भरने में वास्तविक रूप से संलगन होंगे: -
- 7. आवेदक के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों का ब्योरा, यदि कोई हो: -
- 8. संलगनक: -
 - क) अनुबंध, या
 - ख) समझौता ज्ञापन, या
 - ग) करार, जो कि प्राधिकृत कराने वाले विदेशी एजेंट के साथ हुआ हो, की प्रति।

मैं/ हम, एतदद्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं की उपर्युक्त पैराग्राफ में कही गयी बातें मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है।

दिनांक: -

स्थान: -

आवेदक/ आवेदकों के हस्ताक्षर"
[फा.सं. 554/02/2014-एलसी]
आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 68/2019- सीमाशुल्क (गै.टै.), को सा. का. नि. 704 (अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

No. 64/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 484(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with sub-section (1) of section 54 and section 143AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, to amend the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019, namely: -

- 1. **Short title and commencement**. (1) These regulations may be called the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System (Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Transhipment of Cargo to Nepal under Electronic Cargo Tracking System Regulations, 2019, -
 - (i) in the sub-regulation (1) of regulation 2, for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely: -
 - "(b) "authorised carrier" means an authorised sea carrier, authorised train operator or custodian, registered under regulation 3A;
 - (ba) "authorised sea carrier" means the master of the vessel carrying imported goods, export goods and coastal goods or his agent or any other person notified by the Central Government in terms of subsection (1) of section 30 of the Act, in the case of a vessel;
 - (bb) "authorised train operator" means the train operator carrying imported goods and export goods;
 - (bc) "custodian" means a person approved by the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, for the purposes of section 45 of the Act;";
 - (ii) after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely:
 - "3A. Registration. -(1) The authorised carrier shall apply to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner of Customs for registration in the Form-II, appended to these regulations.
 - (2) Where the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner of Customs is satisfied with the information provided by the applicant in Form-II, he shall approve the registration of such applicant for transacting business under these regulations for a period of three years from the date of issue of such registration.
 - (3) The jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner of Customs shall review the registration before the expiry of the initial period of registration of three years and may extend such registration to a further period of five years at a time and in case of an authorised economic operator for a period of ten years.
 - (4) An authorised carrier registered under regulation 3 of the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, shall be deemed to be registered under these regulations."
 - (iii) in the regulation 4, for clause (a), the following shall be substituted, namely:
 - "(a) declare the cargo destined to Nepal and the port of final discharge in Nepal in the arrival manifest, if he is required to do so as per the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018;"
 - (iv) the "Form", shall be numbered as "Form-I", and after Form-I as so numbered, the following "Form-II" shall be inserted, namely: -

"FORM - II

(See Regulation 3A)

Application for Registration

1. Name of applicant with details of Permanent Account Number (PAN): -

(In case the applicant is a firm or a company, the name of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be)

- 2. Category of the applicant (authorised sea carrier, authorised train operator, shipping line or custodian): -
- 3. Contact details:-

Phone number:-

Email address: -

4. Full address of the applicant: -

(In case the applicant is a firm or a company, the full address of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be)

5. The name(s) and address of the authorised person: -

(In case the applicant is a firm or a company, the name(s) of its partner or partners or director or directors or duly authorised employees who will actually be engaged in the work of filing Declaration of Transhipment).

- 6. Educational qualification of each of the persons who will actually be engaged in the filing of Declaration of Transhipment: -
- 7. Details of cases booked under Customs Act against the applicant, if any: -
- 8. The enclosures: -
 - (a) Copy of contract, or
 - (b) Memorandum of understanding, or
 - (c) Agreement entered into with the foreign authorising agent.

I/We hereb	v declare that the	contents of the above	e paragraphs are true	to the best of m	v/our knowledge.

Date: -

Place: -

Signature of the applicant(s)"

[F. No. 554/02/2014-LC]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note: The principal Notification No. 68/2019-Customs (N.T.) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S. R. 704(E), dated the 30th September, 2019.